न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–228 / 2023 दायर दिनांकः 18.8.2023

GCMS NO:- 2023/357 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. ओमप्रकाश सोयल आ0 रामदेव जाति खटीक नि0 देई तहसील नैनवॉ।
2. मुरलीधर सोयल आ0 रामदेव जाति खटीक नि0 देई तहसील नैनवॉ।
3. मोनू सोयल आ0 रामदेव जाति खटीक नि0 देई तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
2. श्रीमान नायब तहसीलदार साहब देई तहसील नैनवॉ।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शांतिलाल मीणा।

निर्णय दिनांक 30.5.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम देई तहसील नैनवॉ मे भूमि खसरा नम्बर 2933 / 1 रकबा 0.9708 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीगणों की खातेदारी आधिपत्य की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण लगातार काबिज चले आ रहे है।

यह कि उक्त भूमि मे जाने का एकमात्र अर्वाचीन रास्ता बख्तावर महाराज मेले स्थल के पुराने थाने के पास देई से कोलाहेडा जाने वाले रास्ते से फटकर खसरा नम्बर 2933 सिवायचक भूमि मे होकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर पहुंचता है। पीढियों से ही यही रास्ता चला आ रहा है जिसमे होकर ही प्रार्थीगण शुरू से ही अपने हल कुली बेल गाडी आदि कृषि यंत्रों को लाते ले जाते रहे है। यह रास्ता 20 फीट चौडा है जिस पर होकर आवागमन का प्रार्थीगणों को सुखाधिकार भी प्राप्त हो चुके है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह कि उक्त रास्ते को रास्ता घोषित करने मे जितनी भी भूमि जिस खातेदार की आती है, प्रार्थीगण प्रतिकर राशि अदा करने को तैयार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। बहस एकपक्षीय सूनी गयी। प्रार्थीगण विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम देई तहसील नैनवॉ मे स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2933 / 1 रकबा 0.9708 हैक्टयर पर जाने के लिए खसरा नम्बर 2933 मे होकर परिशिष्ट अ मे अंकित अनुसार रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सूना। बहस मे किये गए विवेचन, प्रार्थना–पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 2933 / 1 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है जवकि खसरा नम्बर 2933 / 1 तक पहुंचने के लिए पश्चिमी मेड व दक्षिणी मेड के सहारे सहारे होता हुआ एक प्रचलित रास्ता निकल रहा है जो देई से घोर का नाडा की तरफ जाने वाले आम रास्ता मे मिल जाता है। मौके पर निकल रहा उक्त प्रचलित रास्ता मुताबिक रिकॉर्ड सिवायचक खसरा नम्बर 2933 दर्ज है तथा उक्त प्रचलित रास्ता मौके पर बहाल है अतः प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 2933 / 1 पर पहुंचने के लिए पहले से ही प्रचलित रास्ता मौके पर बहाल होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ